

8- Ragging Complain Link :-

1. शिकायतकर्ता का नाम	
2. पिता का नाम	
3. संस्थान/महाविद्यालय/अन्य पूर्ण पता दर्ज करें :-	
4. रैगिंग शिकायत का पूर्ण का विवरण (250 न्यूनतम शब्दों में):-	
5. रैगिंग का स्थान	
6. रैगिंग का समय	
7. विरुद्ध व्यक्ति का नाम एवं पूर्ण पता	
8. क्या आपके द्वारा संस्थान/महाविद्यालय/अन्य में नियुक्त नोडल अधिकारी से सम्पर्क स्थापित किया गया यदि हाँ तो उनके द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत करें।	
9. क्या आपके द्वारा किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही की गई ?	
क्या निवारण आप चाहते हैं ?	
10. क्या आप द्वारा यू.जी.सी. एंटी रैगिंग हैल्पलाईन पर वार्ता की गई यदि हाँ तो विवरण प्रस्तुत करें ?	
11. कृपया उक्त शिकायत के साथ सामने अंकित दस्तावेज ई-मेल करें।	<ol style="list-style-type: none"> 1. शिकायत की लिखित प्रति 2. नोडल अधिकारी के माध्यम से भरा गया प्रपत्र 3. वैध आई डी कार्ड शिकायकर्ता 4. वैध आई डी. कार्ड विरुद्ध व्यक्ति 5. संस्थान/महाविद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र

उक्त प्रपत्र आवश्यक संलग्न दस्तावेजों के साथ विश्वविद्यालय ई-मेल आई डी पर भिजवाये अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट के माध्यम से कुलसचिव, डॉ. एस. आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय को प्रेषित करावें।